



राजस्थान विश्वावद्यालय,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: उ.कू./गोप. प्रथम/2022/

दिनांक:

समस्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/निदेशक,  
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग/पी.जी. स्कूल्स,  
राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जयपुर।

वेष्य: सत्र 2021-22 की परीक्षाओं हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

संदर्भ: संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक  
प. 3(7)/शिक्षा-4/2014 पार्ट दिनांक 30.03.2022

होदय,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनांक  
11.04.2022 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-22 की समस्त (स्नातक/  
स्नातकोत्तर/व्यावसायिक/सेमेस्टर/डिप्लोमा) की परीक्षाएँ निम्न आवश्यक दिशा-निर्देशानुसार आयोजित  
होगी:-

शैक्षणिक सत्र 2021-22 की विश्वविद्यालय की समस्त (स्नातक/स्नातकोत्तर/  
व्यावसायिक/सेमेस्टर/डिप्लोमा) परीक्षाएँ आयोजित होगी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 कोविड-19  
वैश्विक महामारी के कारण यथा समय प्रारम्भ ना होकर विलम्ब से प्रारम्भ होने को मध्यनजर रखते हुए  
स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक/सेमेस्टर/डिप्लोमा परीक्षा 2021-22 में जिन प्रश्न-पत्रों की  
समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घण्टे (तीन घण्टे) निर्धारित है, के स्थान पर प्रति प्रश्न-पत्र 1½ घण्टे  
समयावधि निर्धारित की जाती है तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत  
प्रश्न-पत्र को ही हल करना होगा। स्नातक कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में दो  
प्रश्न-पत्रों (Two Papers) का आयोजन होता है, के संदर्भ में परीक्षार्थियों के दोनों प्रश्न-पत्रों (Two  
Papers) की परीक्षा निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत एक ही पारी में (1½+1½= 3 घण्टे की समयावधि में)  
निम्नानुसार आयोजित होगी:-

क्र.स.	पारी	प्रथम प्रश्न-पत्र समय	द्वितीय प्रश्न-पत्र समय
1	प्रथम पारी	7:00 से 8:30 AM	8:40 से 10:10 AM
2	द्वितीय पारी	11:00 से 12:30 PM	12:40 से 2:10 PM
3	तृतीय पारी	3:00 से 4:30 PM	4:40 से 6:10 PM

नोट: उपरोक्त वर्णित अनुसार प्रथम व द्वितीय प्रश्न-पत्र के मध्य दिया गया 10 मिनट का अतिरिक्त  
समय प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका वितरण एवं संग्रहण हेतु देय है। साथ ही उक्त अवधि में  
किसी भी परीक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

उक्त तीन घण्टे की समयावधि के कला/विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या  
दो से अधिक है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन दो प्रश्न-पत्रों (प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न-पत्र) का एक ही  
पारी में (1½+1½= 3 घण्टे की समयावधि में) आयोजित होगी तथा शेष प्रश्न-पत्र (तृतीय प्रश्न-पत्र) की  
परीक्षा आगामी दिवस में डेढ़ घण्टे की समयावधि में करवायी जायेगी।

जिन प्रश्न-पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1½ घण्टे एवं 2 घण्टे निर्धारित है, उन प्रश्न-पत्रों को  
परीक्षार्थियों द्वारा हल करने की समयावधि 1½ घण्टे एवं 2 घण्टे ही यथावत रहेगी एवं परीक्षार्थियों को  
पाठ्यक्रमानुसार कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न-पत्र में  
विकल्प जैसे:- अथवा/or एवं इकाई (Unit) के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी।

**उदाहरणार्थ :-** 1½ एवं 2 घण्टे के प्रश्न पत्रों की अधिकतम अंक सीमा 100, 80, 60, 50 एवं 40  
निर्धारित है उन प्रश्न पत्रों को पूर्ण हल करना है उनके अंकों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

स्नातक कला संकाय के विषय Deaf, Dumb & Blind के प्रश्न-पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार  
4 घण्टे (चार घण्टे) निर्धारित है, के स्थान पर प्रति प्रश्न-पत्र की 2 घण्टे (दो घण्टे) समयावधि निर्धारित  
की जाती है तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत प्रश्न-पत्र को ही हल  
करना होगा।

परीक्षार्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र में विकल्प जैसे:-यूनिट/इकाई तथा अथवा/OR के अनुसार प्रश्नों  
को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत  
प्रश्न-पत्र को ही हल करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल  
करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा  
उत्तर-पुस्तिका में हल किये गये सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जायेगा।  
परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किये गये 50 प्रतिशत प्रश्नों के अंकों को 100 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुये  
विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

१२३

कृ.प.उ.

### उदाहरणार्थ

अधिकतम अंक सीमा	संशोधित 50 प्रतिशत अंक सीमा
100 अंक	50 अंक
80 अंक	40 अंक
50 अंक	25 अंक
75 अंक	38 अंक

- सत्र 2021-22 की समस्त प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाईल/असाइनमेंट के आधार पर ही आयोजित करवाई जायेगी। इस सम्बन्ध में नियमित रूप से अध्ययनरत परीक्षार्थी सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग के निर्देशन में फाईल/असाइनमेंट तैयार कर जमा करवायेंगे तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी आवंटित प्रायोगिक प्रशिक्षण केन्द्र के शिक्षकों के निर्देशन में फाईल/असाइनमेंट तैयार करेंगे तथा अपनी फाईल/असाइनमेंट प्रायोगिक परीक्षा के प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर प्रायोगिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जमा करवायेंगे। प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र द्वारा परीक्षार्थियों (नियमित/स्वयंपाठी) की फाईल/असाइनमेंट जमा करते समय उनकी उपस्थिति आवश्यक रूप से करवानी होगी जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, Viva-voce & Seminar का आयोजन होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग द्वारा करवाया जाये। जिन पाठ्यक्रमों में आन्तरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में फाईल/असाइनमेंट/ऑन लाईन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जायेगा।
- परीक्षार्थियों द्वारा जमा करवाई गई फाईल/असाइनमेंट के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन करने हेतु बाह्य परीक्षकों की सूची शीघ्र ही विश्वविद्यालय पोर्टल [www.univraj.org](http://www.univraj.org) के कॉलेज पैनल पर अपलोड कर दी जावेगी।
- सत्र 2021-22 की सभी परीक्षाओं में जिन प्रश्न-पत्रों में परीक्षार्थियों द्वारा हल किये गये प्रश्नों के पूर्णांक का योग, पूर्णांक के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो, ऐसी स्थिति में अंतिम प्रश्न के पूर्णांक को 50 प्रतिशत की सीमा तक कम करते हुए उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये परीक्षार्थी सम्पन्न करवायें। साथ ही परीक्षार्थियों को अपने स्तर पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

भवदीय,


- Sd -  
(के.एम. दुडिया)  
कुलसचिव

दिनांक: 9/4/22

क्रमांक: उ.कु./गोप. प्रथम/2022/CE/232-242

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- समस्त अधिष्ठाता, रा.वि.वि., जयपुर।
- निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर।
- जन संपर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
- निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
- सहायक कुलसचिव (परीक्षा संचालन), रा.वि.वि., जयपुर।
- सहायक कुलसचिव (तलघर-प्रथम/द्वितीय), रा.वि.वि., जयपुर।
- सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

  
08.04.2022  
(डॉ. राकेश राव)  
परीक्षा नियंत्रक